विदेश जाने वले तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता

2626. **श्रीमती मालती शर्माः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार विदेशों में धार्मिक स्थलों की यात्रा पार जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान ननकाना साहिब (पाकिस्तान) और मानसरोवर (चीन) की यात्रा पर गये तीर्थ यात्रियों को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और इस संबंध में वर्ष –वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल)ः (क) से (घ) प्रत्यक्ष रूप से हाजियों के लिए कोई राज सहायता नहीं दी जाती है।

2. उन हाजियों के लिए जो केन्द्रीय हज समिति के तत्वाधान में हज करते है, सरकार उनके लिए ऐसा हज यात्री किराया निर्धारित करती है जो सामान्य रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर गणना किए गए किराए से कम होता है। बाकी रकम हज परिवहन इंतजामात के कारण राज सहायता के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा जिसका भुगतान सीधे वायुयान चार्टर कम्पनी को किया जाता है। इसके अलावा सरकार सौउदी अरब के लिए प्रशानिक और मेडिकल दस्तों डाक्टर तथा अर्ध-चिकित्सकीय को भेजती है और हज यात्रियों की आवश्यकताओम को पूरा करने के लिए दवाओं की सप्लाई तथा एम्बूलेंस, कैम्प डिस्पेसरियां इत्यादि जैसी चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करती है। यह उल्लेखनीय है कि सालाना हज एक अभूतपूर्व महत्व की तीर्थयात्रा है, जिसमें मुस्लिम जगत के हजारों तीर्थयात्री एक ही स्थान पर निर्धारित तारीखों में एकत्र होते है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उमरा, मक्का और मदीना की पूरे वर्ष चलने वाली तीर्थयात्रा के लिए इस किस्म की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

3. भारत से पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले सिख/सहजधारी और हिन्दू जत्थों के मामले में , सरकार सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करती है, प्रत्येक जत्थे की यात्रा के सिलसिले में पाकिस्तान को सरकार से अनुमति प्राप्त करना, विभिन्न राज्य सरकारों/मंत्रालयों / प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना तथा यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए वीजा के वास्ते नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन को सूची भेजना, रेलवे मंत्रालय से यात्रियों के लिए आने और जाने की यात्रा के लिए विशेष रेल गाडियों की व्यवस्था करना, इस तथ्य के मद्देनजर कि जत्थे के लिए अल्प सूचना पर अनुमति दी गई तथा जत्थों के प्रस्थान के ठीक एक अथवा दो दिन पूर्व यात्रियों के पासपोर्टों पर वीजा मोहरें लगाई गई है एक विशेष मामले के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से यथाशीघ्र विदेशी मुद्रा जारी कराना, यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की मदद केलिए इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन के एक अधिकारी के रूप में नियुक्त करना इत्यादि।

4. कैलाश-मानसरवोर यात्रा के लिए सरकार ने 1996 में तीर्थ यात्रियों द्वारा 5000/- रुपये प्रति तीर्थ यात्री की दर से देय राशि कुमायुं मण्डल विकास निगम (के एम वी एन) को देने का निर्णय लिया था। के एम वी एन 8250/- रुपये प्रति तीर्थ यात्री लागत वसूलता था। सरकार दोनों राशियों का अन्तर सहायता के रूप में के0एम0वी0एन0 को अदा करती थी। सरकार तीर्थ यात्रियों को जो सुविधाएं प्रदान कर रही है उनमें चिकित्सा सहायता, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा सुरक्षा और अंगरक्षक, दिल्ली और भारतीय पक्ष और चीन में पड़ने वाले क्षेत्रों के बीच संचार सम्पर्क तथा तीर्थयात्रियों के प्रत्येक दल के साथ सरकारी तथा तीर्थयात्रियों के प्रत्येक दल के साथ सरकारी खर्च पर एक सम्पर्क अधिकारी शामिल है।

News report regarding Netaji Subhas Chandra Bose

2627. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports that Netaji Subhas Chandra Bose survived the air crash in Taiwan and made his entry into the Soviet Union;

(b) whether any attempt has been made at the official level to find out the basis of such speculations; and

(c) whether there is any proposal to seek the advice and assistance of the present Russian authorities so that the controversy over the matter could be satisfactorily resolved?

THE MINISTER OF EXTERNAL